47

स्वयं फाइल-2

प्रेषक,   संख्या:–   /XX(5)/14–11(स्व0सं0सें0)/2012

एम0एच0 खान,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड देहरादून।

गृह अनुभाग–5   देहरादून: दिनांक: 26 सितम्बर, 2014

विषय:–स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं उनकी विधवाओं को उनके सहवर्ती के साथ उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बसों में दी जा रही निःशुल्क यात्रा सुविधा की प्रतिपूर्ति हेतु प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त नियन्त्रक, उत्तराखण्ड, परिवहन निगम, देहरादून के पत्र संख्या–1605, नि0मु0 /वित्त नि0/लेखा Viii(1) 0001/14, दिनांक–21.08.2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं उनकी विधवाओं को एक सहयोगी के साथ दी जाने वाली निःशुल्क यात्रा सुविधा के अन्तर्गत मार्च, 2013 तक अवशेष धनराशि रू0 61,635/– (रू0 इकसठ हजार छः सौ पैंतीस मात्र) की धनराशि और अप्रैल, 2013 से मार्च, 2014 तक रू0 9,78,957/– (रू0 नौ लाख अठ्तर हजार नौ सौ सत्तावन मात्र) कुल रू0 10,40,592/– (दस लाख चालीस हजार पांच सौ बयानब्बे मात्र) देय इंगित करते हुये भुगतान प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम के नाम से किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष– 2014 –15 में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं उनकी विधवाओं को एक सहयोगी के साथ उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बसों में दी जाने वाली निःशुल्क यात्रा सुविधा के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 20,00,000/– (रू0 बीस लाख मात्र) परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून के निवर्तन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

3– उक्त आवंटित धनराशि में से वित्तीय वर्ष–2013–14 की अवशेष धनराशि रू0 10,40,592/– (इस लाख चालीस हजार पांच सौ बयानब्बे मात्र) का भुगतान प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम को कर दिया जाय।

4– जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य समक्ष प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

क्रमशः–2

5– बजट प्राविधान किसी भी लेखाशीर्षक/मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है। अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्ययभार/दायित्व सृजित किया जाय।

6– जारी स्वीकृति के सापेक्ष व्यय का विवरण निर्धारित प्रपत्र बी0एम0–13 पर नियमित रूप से वित्त विभाग तथा गृह विभाग को प्रत्येक माह विलम्बतम 20 तारीख तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

7– यह आदेश वित्त अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–318/XXVII(1)/2014, दिनांक 18.03.2014 में दिये गये दिशा–निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अलोटमेंट आई0डी0 संख्या– दिनांक .04.2014 द्वारा जारी किये जा रहें हैं

8– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष–2014–15 के अनुदान संख्या–15 लेखाशीर्षक–2251 सचिवालय सामाजिक सेवायें–092 अन्य कार्यालय (लघुशीर्षक 200 के स्थान पर)–07–स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा (अनुदान संख्या–06) (2075–00–800–13) से स्थानान्तरित) 42–अन्य व्यय की सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

भवदीय,

(एम0एच0 खान)
प्रमुख सचिव।

संख्याः–1052/XX(5)/14–11(स्व0सं0सें0)/2012, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2–महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, वैभव पैलेस, सी0–01/105, इन्दरा नगर, देहरादून।
3–प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4–निदेशक, लेखा एवं हकदारी लक्ष्मी रोड, देहरादून।
5–प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम, देहरादून।
6–वित्त नियन्त्रक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम मुख्यालय, 1 राज विहार चकराता रोड, देहरादून को उनके पत्रांक संख्या–1039/नि0मु0/वित्त नि0/लेखा VIII(1) 0001/2014 दिनांक 05.03.2014 के सन्दर्भ में।
7–वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
8–निजी सचिव, प्रमुख सचिव, गृह, उत्तराखण्ड शासन।
9–वित्त अनुभाग–1//5
10–एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर।
11–गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0आर0 सिंह)
उप सचिव।